



प्रेस विज्ञप्ति
26/06/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 24/06/2025 को ब्लॉक शिक्षा कार्यालय, कट्टीवाड़ा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों से संबंधित 06 परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया था।

ईडी ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें अप्रैल 2018 से जुलाई 2023 की अवधि के दौरान ब्लॉक शिक्षा कार्यालय (बीईओ), कट्टीवाड़ा के खजाने से कुल 20 करोड़ रुपये (लगभग) के कथित संदिग्ध और धोखाधड़ी वाले भुगतान शामिल हैं।

तलाशी अभियान के दौरान, लगभग 25 लाख रुपये की राशि वाले तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। इसके अलावा, अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी की जांच में पता चला है कि अप्रैल 2018 से जुलाई 2023 के बीच काठीवाड़ा के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के कार्यालय में 20 करोड़ रुपये (लगभग) का बड़े पैमाने पर गबन किया गया था और उक्त धनराशि को जाली बिलों का उपयोग करके धोखाधड़ी से निकाला गया था और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) में हेरफेर करके कई व्यक्तिगत बैंक खातों में जमा किया गया था। यह भी पता चला है कि ट्रेजरी विभाग के खातों से गबन की गई धनराशि में से 9 करोड़ रुपये नकद निकाले गए थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।